

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 - 442/2025

अनवान : -

1. बलविन्द्र सिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला त0 टिब्बी ।
2. संदीपसिंह पुत्र मलकीतसिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला त0 टिब्बी ।

वादीगण


बनाम

1. मलकीत सिंह पुत्र वरयामसिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला तहसील टिब्बी ।
2. माया पुत्री गुलाब सिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला तहसील टिब्बी ।
3. कुलविन्द्र सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला तहसील टिब्बी ।
4. मनजीत सिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला तहसील टिब्बी ।
5. परमजीत कौर पुत्री बलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी 3 एसआरडब्ल्यू थेहड़ खोड़ा वाला तहसील टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी अरविन्द्र नैण व परमजीतसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 2 एस. आर डबल्यू के खाता सं० 172/147 मे प्रतिवादी सं० 1 के नाम की भूमि में से 0.017 है० भूमि के व प्रतिवादी सं० 2 ता 5 के पूर्वज गुलाबसिंह पुत्र फतेह सिंह के नाम की 437/2188 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी सं 3 ता 5 के नाम की प्रत्येक की 31/3282 हिस्सा की आराजी के तथा चक नं० 2 एस. आर डबल्यू के खाता सं० 139 /127 में गुलाबसिंह पुत्र फतेह के नाम की 1/5 हिस्सा भूमि के वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर खाता हाजा मे से गुलाबसिंह पुत्र फतेह सिंह, मनजीत, कुलविन्द्र, परमजीत कौर, बलवीरसिंह का नाम कलमजन तथा इसी चक के खाता सं० 172/147 मे से मलकीतसिंह का 0.017 है० हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 15/01/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण)

उपखण्ड अधिकारी P.A.S.
टिब्बी जिला हनुमानगढ़